

## मौलिक अधिकार (भाग -2)

### मौलिक अधिकार (भाग -1)

### शोषण के वरिद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)

- **मानव तस्करी और बलात् शर्म पर प्रतिबंध:** भारत में पुराने समय में ज़मींदार, सूदखोर और अन्य धनी लोग **बंधुआ मज़दूरी** करवाते थे। देश में अभी भी खासतौर से भट्टे के काम में **बंधुआ मज़दूरी** करवाई जाती है लेकिन अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और कानून द्वारा दंडनीय है।
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार (बलात् शर्म) और इसी प्रकार के अन्य बलात् शर्म के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प-सुवधि प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके।
  - यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर-नागरिक दोनों के लिये उपलब्ध है।
  - मानव तस्करी के वरिद्ध अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - पुरुष, महिला और बच्चों की खरीद-बिक्री।
    - वेश्यावृत्ति।
    - **देवदासी**।
    - दास।
  - इस तरह के कृत्यों के लिये दंडित करने हेतु संसद ने अनैतिक दुरव्यापार (नविवरण) अधिनियम 13, 1956 [Immoral Traffic (Prevention) Act 13, 1956] को लागू किया।
- **बाल शर्म पर रोक:** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 24** किसी फ़ैक्ट्री, खान अथवा अन्य परसिंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उमर के बच्चों के नयोजन का प्रतिबंध करता है।
  - हालाँकि यह किसी नुकसान न पहुँचने वाले अथवा गैर-जोखमि युक्त कार्यों में नयोजन का प्रतिबंध नहीं करता है।
  - बाल शर्म (प्रतिबंध एवं वनियमन) अधिनियम, 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है।
    - बाल शर्म (निषिद्ध और रोकथाम) संशोधन अधिनियम, (Child labour (Prohibition and Prevention) Amendment Act)-2016 को लागू किया गया।
    - यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्यों में लगाने पर तथा 14 से 18 वर्ष के कशोरों को 'खतरनाक व्यवसायों' (Hazardous Occupations) के कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध लगाता है।

### धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

**अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता:**

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का सामान अधिकार होगा। यह अधिकार नागरिकों एवं गैर-नागरिकों के लिये भी उपलब्ध है।
  - **अंतःकरण की स्वतंत्रता:** किसी भी व्यक्तिको भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता।
  - **धर्म को मानने का अधिकार:** व्यक्तिको अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का सार्वजनिक तथा बनिा भय के घोषणा करने का अधिकार।
  - **आचरण का अधिकार:** धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और अपनी आस्था तथा वचिारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता।
  - **प्रचार का अधिकार:** अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। परंतु इसमें किसी व्यक्तिको अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है।
    - अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित करता है।
  - **सीमाएँ:** सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है।
    - कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिये सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह या मानव बलि जैसी कृप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिये अनेक कदम उठाए हैं।
      - ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है।
- **धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:
  - धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिये संस्थानों की स्थापना और रख-रखाव का अधिकार।

- अपने धर्म वषियक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार ।
- इसके अतिरिक्त चल और अचल संपत्ता के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार, ऐसी संपत्ता का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार ।
- अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है ।
- **धर्म की अभिवृद्धि के लिये करों के संदाय से स्वतंत्रता:** अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी व्यक्ति को किसी वशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख-रखाव में व्यय करने के लिये कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा ।
  - इसमें कहा गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी वशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रख-रखाव के लिये व्यय नहीं कर सकता है ।
    - यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है ।
  - यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, न कि शुल्क लगाने पर ।
    - शुल्क लगाने का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन द्वारा धार्मिक संस्थानों को न्यतिरति करना है ।
- **धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता:** अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य (भारत का क्षेत्र) नधियों से पूरणतः पोषति किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए ।
  - हालाँकि यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी वन्यास या न्यास के अधीन हुई हो ।
  - राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य-नधि से सहायता पाने के लिये शिक्षा संस्थान में उपस्थिति होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिये उसकी अपनी सहमति के बिना बाध्य नहीं किया जाएगा ।
    - अवयस्क के मामले में उसके संरक्षक की सहमति की आवश्यकता होगी ।

## संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30)

- **अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण:** अनुच्छेद 29 यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि या संस्कृत को सुरक्षित रखने का अधिकार है ।
  - इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोकना नहीं जा सकता ।
  - अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है ।
    - हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि 'नागरिकों के अनुभाग' शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों से है ।
- **शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार:** अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों (चाहे धार्मिक या भाषायी) को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है:
  - सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा ।
  - राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की किसी भी संपत्ता के अनविरय अधगिरहण के लिये नरिधारति कषतपूरति राशा से उनके लिये प्रत्याभूत अधिकार प्रतिबंधित या नरिसत नहीं होंगे ।
    - यह उपबंध 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है ।
  - राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ भेदभाव नहीं करेगा ।
  - इस तरह अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण अल्पसंख्यकों (धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषायी) की सुरक्षा का वसितार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिये (जैसा कि अनुच्छेद 29) नहीं है ।

## अनुच्छेद 31, 31A, 31B और 31C

- संवधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मौलिक अधिकारों में से संपत्ता का अधिकार एक था ।
  - हालाँकि संवधान लागू होने के समय से ही संपत्ता का मौलिक अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा ।
  - 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ता के अधिकार, भाग 3 में अनुच्छेद 19 (1) (च) को समाप्त कर दिया गया और इसके लिये संवधान के भाग XII में नए अनुच्छेद 300 A के रूप में प्रावधान किया गया ।
  - संपत्ता का अधिकार अब भी एक कनूनी अधिकार (संवधानिक अधिकार) है ।
- अनुच्छेद 31 ने कई संवधानिक संशोधनों का नेतृत्व किया जैसे- 1, 4वें, 7वें, 25वें, 39वें, 40वें और 42वें संशोधन ।
  - प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 ने अनुच्छेद 31A और 31B को संवधान में सम्मलित किया ।
    - 25वें संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संवधान में अनुच्छेद 31C को शामिल किया गया था ।
- **अनुच्छेद 31A:** यह कानूनों की पाँच श्रेणियों से व्यावृत्त प्रदान करता है और इन्हें अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देकर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है ।
  - इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
    - राज्य द्वारा संपदाओं का अधगिरहण और संबंधित अधिकार ।
    - राज्य द्वारा संपत्ता के प्रबंधन का दायित्व संभालना ।
    - नगिमें का वलिय ।
    - नगिमें के नदिशकों या शेरधारकों के अधिकारों का पुनर्रिधारण या समाप्ति ।
    - खनन पट्टे का पुनर्रिधारण या उनकी समाप्ति ।
- **अनुच्छेद 31B:** यह **नौवीं अनुसूची** में उल्लिखित अधिनियमों एवं नयिमें को व्यावृत्त प्रदान करता है ।
  - अनुच्छेद 31B का दायरा अनुच्छेद 31A से अधिक व्यापक है । अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची में सम्मलित किसी भी वधि को सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्ता प्रदान करता है फरि चाहे वधि अनुच्छेद 31A में उल्लिखित पाँच श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो या नहीं ।

- हालाँकि I.R. कोएलहो केस (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक नरिणय में कहा कि नौवीं अनुसूची में सम्मलित वधियीं को न्यायकि समीक्षा से उनमुक्ताप्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायकि समीक्षा संवधान की मूल वशिषता है और कसिी वधि को नौवीं अनुसूची के अंतरगत रखकर इसकी यह वशिषता समाप्त नहीं की जा सकती।
  - 24 अपरैल, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती मामले में अपने ऐतहासकि फंसले में संवधान के मौलकि ढाँचे के सदिधांत को परतपादित कया।

■ **अनुच्छेद 31C:** इसमें दो प्रावधान शामिल थे:

- यह कहता है कि कोई भी कानून जसिमें अनुच्छेद 39 (B) और (C) में वनरिदषिट समाजवादी नरिदेशक सदिधांतों को लागू करने की मांग की गई है, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा परदत्त मौलकि अधकिारों के उल्लंघन के आधार अमान्य घोषित नहीं होंगे।
- इसके अतरिकित कोई भी कानून जो यह घोषणा करे कि यह ऐसी नीति को प्रभावित करने हेतु है, उसे कसिी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह ऐसी नीति को प्रभावित नहीं करता है।

लेख 31A, 31B और 31C को मौलकि अधकिारों के अपवाद के रूप में बरकरार रखा गया है।

## संवधानकि उपचार का अधकिार (अनुच्छेद 32)

- **अनुच्छेद 32** को संवधान का सबसे महत्त्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलकि अधकिारों के संरक्षण का अधकिार स्वयं में एक मौलकि अधकिार है।
  - यह एक पीड़ित नागरकि के मौलकि अधकिारों के परवर्तन के लयि उपायों का अधकिार परदान करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संवधान की मूल वशिषताएँ हैं। इस तरह इसे संवधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता।
- इसमें नमिनलखिति चार प्रावधान शामिल हैं:
  - मौलकि अधकिारों को परवर्तित करने के लयि समुचित कार्यवाहियीं द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सामावेदन करने का अधकिार परत्याभूत है।
  - सर्वोच्च न्यायालय को कसिी भी मौलकि अधकिार के संबंध में नरिदेश या आदेश (रटि) जारी करने का अधकिार होगा।
  - संसद को यह शक्ता प्राप्त है कि वह कसिी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के नरिदेश, आदेश (रटि) जारी करने की शक्ता परदान कर सकती है।
    - यहाँ कोई अन्य न्यायालय, उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं हैं क्योंकि (अनुच्छेद 226) पहले ही नरिधारित करता है कि ये उच्च शक्तियीं उच्च न्यायालय में नहिति हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधकिार को इस संवधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सवाय नलिंबति नहीं कया जाएगा।
    - राष्ट्रपति/राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 359) के तहत इनको स्थगित कर सकता है।
  - संवधान द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत मौलकि अधकिारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधकिारों की नहीं, जैसे-गैर-मौलकि संवधानकि अधकिार, असंवधानकि अधकिार, लौककि अधकिार आदि।
    - अनुच्छेद 32 के अनुसार, मौलकि अधकिारों का हनन इसके परयोग की अनविरय शरत है।
    - दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलकि अधकिारों से संबंधित मामलों पर परश्न नहीं उठा सकता।

## अनुच्छेद 33, 34 और 35

- **अनुच्छेद 33:** यह संसद को यह अधकिार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अरद्धसैनकि बलों, पुलिस बलों, खुफया एजेंसियीं और अन्य के मौलकि अधकिारों को युक्तयुक्त परतबिधित कर सके।
  - इस प्रावधान का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना है।
  - अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने का अधकिार सरिफ संसद को है न कि राज्य वधिनमंडल को।
    - संसद द्वारा बनाए गए कानून को कसिी न्यायालय में कसिी मौलकि अधकिार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  - सैन्य बलों के सदस्यों की अभवियक्ता का अभपिराय है इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो सेना में नाई, बढई, मैकेनकि, बावर्ची, चौकीदार, बूट बनाने वाला, दर्जी आदि का कार्य करते हैं।
- **अनुच्छेद 34:** यह मौलकि अधकिारों पर तब परतबिधित लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। 'मार्शल लॉ' के सदिधांत को बरटिश कानून से लया गया है। हालाँकि 'मार्शल लॉ' की व्याख्या संवधान में नहीं की गई, लेकिन इसका शाब्दकि अर्थ है, 'सैन्य शासन'।
  - मार्शल लॉ को असाधारण परस्थितियीं जैसे- युद्ध, अशांति, दंगा या कानून का उल्लंघन आदि स्थिति में लागू कया जाता है।
  - अनुच्छेद 34 संसद को यह अधकिार देता है कि वह कसिी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ता को उसके द्वारा कयि जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनरनरिमति करे, संसद कसिी मार्शल लॉ वाले कषेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता परदान कर सकता है।
    - संसद द्वारा बनाए गए कषतपूरत अधनियम को कसिी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह कसिी मौलकि अधकिार का उल्लंघन है।
- **अनुच्छेद 35:** यह अनुच्छेद केवल संसद को कुछ वशिष मौलकि अधकिारों को प्रभावी बनाने के लयि कानून बनाने की शक्ता परदान करता है। यह अधकिार राज्य वधिनमंडल को प्राप्त नहीं है।
  - **संसद के पास नमिनलखिति मामले में कानून बनाने का अधकिार:**
    - कसिी राज्य/केंद्रशासति प्रदेश/स्थानीय या अन्य प्राधकिरण में कसिी रोजगार या नयुक्ता के लयि नवास की व्यवस्था।
    - मौलकि अधकिारों के क्रयान्वयन के लयि नरिदेश, आदेश, रटि जारी करने के लयि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को सशक्त बनाना।
    - सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मौलकि अधकिारों पर परतबिधित।

- किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तिको किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किये गए किसी भी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना ।
- अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विधियों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है, यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल (यानी राज्य सूची) के पास भी होते हैं ।

## नषिकर्ष

- बहुत सारे अपवाद प्रतिबंध और स्थायित्व की कमी के बावजूद मौलिक अधिकार, भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं:
  - यह मनुष्य की वस्तुओं और नैतिक सुरक्षा के लिये आवश्यक शर्तें प्रदान करता है तथा प्रत्येक व्यक्तिकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ।
  - यह अधिकार अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत की धारणा को भी मज़बूत करता है ।
  - ये सामाजिक समानता एवं न्याय की नींव रखकर व्यक्तियों की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करते हैं ।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/fundamental-rights-part-2>

